भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3758

(सोमवार, 16 मार्च, 2026/25 फाल्गुन, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

सीएसआर व्यय

3758. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावाः

श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोरः

श्री राहुल कस्वांः

श्री रमेश अवस्थीः

श्री दामोदर अग्रवालः

श्री अशोक कुमार रावतः

श्री जनार्दन मिश्राः

श्री सुखजिंदर सिंह रंधावाः

श्री भोजराज नागः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मंत्रालय के पोर्टल पर सीएसआर-2 फाइलिंग मॉड्यूल के माध्यम से लागू कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निगरानी ढांचे का ब्यौरा क्या है और कंपनियों के लिए क्या रिपोर्टिंग आवश्यकताएं निर्धारित की गई हैं;

(ख) सीएसआर-2 फाइलिंग मॉड्यूल के माध्यम से लागू निगरानी ढांचे के अन्तर्गत गुजरात, विशेषकर दाहोद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में सीएसआर व्यय की क्या स्थिति है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान सीएसआर व्यय और अव्ययित राशि की रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली कंपनियों की संख्या कितनी है और कांकेर तथा दाहोद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत कांकेर, बालोद, कोंडागांव और धमतरी जिलों और राजस्थान में चल रही कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कंपनियां सीएसआर आवंटन के मामले में भेदभाव कर रही हैं और यदि हाँ, तो क्या सरकार का पारदर्शिता लाने के लिए कंपनियों को निर्देश देने का विचार है;

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान दाहोद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और जनजातीय कल्याण क्षेत्रों में कंपनियों द्वारा किए गए सीएसआर व्यय का ब्यौरा क्या है;

(च) विगत तीन वर्षों के दौरान बैंकों और कंपनियों द्वारा किए गए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय का राजस्थान सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार ने उक्त बैंकों और कंपनियों द्वारा व्यय की गई सीएसआर निधि की जांच/लेखापरीक्षा की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ज) विगत पांच वर्षों के दौरान पंजाब में सीएसआर निधि से किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(झ) खर्च न की गई सीएसआर निधि को वैधानिक प्रावधानों के अनुसार निर्दिष्ट खातों या निधि में अंतरित करने की निगरानी हेतु स्थापित तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ञ) क्या कई कंपनियां सीएसआर नीति के अन्तर्गत निर्धारित राशि खर्च करने में विफल रही हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उक्त कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ट) क्या सीएसआर नीति का अनुपालन और इसमें पारदर्शिता के संबंध में कोई समीक्षा या प्रभाव मूल्यांकन किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जारी...2/-

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): मंत्रालय द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2022 की अधिसूचना के माध्यम से वेब-आधारित प्ररूप सीएसआर-2 प्रारंभ किया गया है, जिसे प्रत्येक सीएसआर के लिए पात्र कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 और उसके बाद भरा जाना आवश्यक है। उक्त प्ररूप में कंपनियों को सीएसआर समिति के गठन, सीएसआर नीति, अप्रयुक्त सीएसआर राशि, सीएसआर परियोजनाओं, संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यकलापों/परियोजनाओं पर व्यय की गई राशि आदि का विवरण प्रस्तुत करना होता है।

(ख): कंपनियों द्वारा एमसीए21 रजिस्ट्री में दाखिल सीएसआर व्यय से संबंधित सभी आंकड़े, जिनमें राज्य-वार, जिला-वार, वर्ष-वार, कंपनी-वार तथा परियोजना-वार विवरण शामिल हैं, सार्वजनिक डोमेन में www.csr.gov.in पर उपलब्ध हैं। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार आंकड़े केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। कंपनियों द्वारा एमसीए21 रजिस्ट्री में दाखिल वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2021-22 से 2023-24 तक गुजरात में जिला-वार सीएसआर व्यय का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(ग): कंपनियों द्वारा एमसीए21 रजिस्ट्री में दाखिल वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2021-22 से 2023-24 के दौरान गुजरात, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान में जिला-वार सीएसआर व्यय तथा उक्त राज्यों में कंपनियों की संख्या एवं उनके द्वारा किए गए सीएसआर व्यय का विवरण क्रमशः अनुलग्नक-I, अनुलग्नक-II, अनुलग्नक-III एवं अनुलग्नक-IV में संलग्न है। अप्रयुक्त राशि एवं सीएसआर से संबंधित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार आंकड़े केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(घ): कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है तथा कंपनी का बोर्ड कंपनी के सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उस पर निर्णय लेने, उसका क्रियान्वयन करने तथा उनकी निगरानी करने के लिए अधिकृत है। सरकार कारपोरेट संस्थाओं को किसी विशेष क्षेत्र या कार्यकलाप में सीएसआर व्यय करने हेतु कोई निदेश जारी नहीं करती है।

(ङ): जिला-वार सीएसआर व्यय का विवरण उपर्युक्त भाग (ख) में सम्मिलित है तथा पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2021-22 से 2023-24 के दौरान गुजरात में विकास क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय का विवरण अनुलग्नक-V में संलग्न है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार आंकड़े केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(च) एवं (छ): कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों, जिनमें बैंक भी सम्मिलित हैं, द्वारा राजस्थान में पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2021-22 से 2023-24 के दौरान किए गए सीएसआर व्यय का विवरण अनुलग्नक-VI में संलग्न है। सरकार द्वारा उक्त कंपनियों द्वारा किए गए सीएसआर व्यय की कोई जांच/लेखा-परीक्षण नहीं किया गया है।

(ज): पिछले पाँच वित्तीय वर्षों अर्थात् 2019-20 से 2023-24 के दौरान पंजाब में विकास क्षेत्र-वार तथा जिला-वार सीएसआर व्यय का विवरण क्रमशः अनुलग्नक-VII एवं अनुलग्नक-VIII में संलग्न है।

जारी...3/-

(झ): कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 135(5) एवं 135(6) में अप्रयुक्त सीएसआर राशि के निपटान के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। किसी चालू परियोजना के मामले में, कंपनी को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिनों के भीतर अप्रयुक्त राशि को कंपनी के एक विशेष खाते अर्थात 'अप्रयुक्त सीएसआर खाता' में अंतरित करना आवश्यक है तथा उस राशि को अंतरित करने की तिथि से अगले तीन वित्तीय वर्षों के भीतर अपनी सीएसआर नीति के अनुसार व्यय करना होता है। तीन वित्तीय वर्षों की अवधि समाप्त होने के पश्चात यदि कोई राशि शेष रह जाती है, तो उसे तीसरे वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित करना आवश्यक है। ऐसी परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य मामलों में, कंपनी को अप्रयुक्त सीएसआर राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह माह के भीतर अधिनियम की अनुसूची VII में उल्लिखित किसी निधि में अंतरित करना आवश्यक है। मंत्रालय द्वारा कंपनी (लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 [सीएआरओ, 2020] अधिसूचित किया गया है, जिसके अंतर्गत लेखा-परीक्षकों को किसी भी अप्रयुक्त सीएसआर राशि के संबंध में विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

ञ): अधिनियम की धारा 135(7) के अनुसार, कंपनी अनुसूची सातवीं में निर्दिष्ट निधि या अप्रयुक्त कारपोरेट सामाजिक दायित्व खाते में कंपनी द्वारा अंतरित की जाने वाली राशि के दोगुने या एक करोड़ रुपये, जो भी कम हो, की शास्ति के लिए उत्तरदायी होगी, और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो दोषी पाया जाता है, अनुसूची सातवीं में निर्दिष्ट निधि या अप्रयुक्त कारपोरेट सामाजिक दायित्व खाते में कंपनी द्वारा अंतरित की जाने वाली राशि के दसवें हिस्से या दो लाख रुपये, जो भी कम हो, की शास्ति के लिए उत्तरदायी होगा। जब भी सीएसआर प्रावधानों के किसी उल्लंघन की सूचना मिलती है, तो अभिलेखों की विधिवत जांच और विधिवत प्रक्रिया का पालन करने के बाद, कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसी गैर-अनुपालन करने वाली कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की जाती है।

(ट): इस संबंध में कोई विशिष्ट समीक्षा या प्रभाव आकलन नहीं किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है तथा कंपनी का बोर्ड कंपनी के सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उनका क्रियान्वयन करने तथा उनकी निगरानी करने के लिए अधिकृत है। सीएसआर समिति का गठन, सीएसआर नीति का निर्माण, सीएसआर पर वार्षिक कार्ययोजना, मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) द्वारा सीएसआर व्यय का प्रमाणन तथा सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा सीएसआर व्यय का लेखा-परीक्षण आदि जैसे वर्तमान विधिक प्रावधान पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने वाले तंत्र के रूप में कार्य करते हैं।

अनुलग्नक-I

दिनांक 16.03.2026 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3758, के भाग (ख) से संदर्भित

वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक गुजरात में जिला-वार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**जिला**	**वित्तीय वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**	**वित्तीय वर्ष 2023-24**
1.	अहमदाबाद	518.36	834.85	760.99
2.	अमरेली	10.37	12.60	19.21
3.	आनंद	21.51	23.35	41.40
4.	अरवल्ली	0.22	-	-
5.	बनासकांठा	13.20	25.06	31.19
6.	भरूच	78.66	136.40	123.74
7.	भावनगर	48.65	86.63	103.67
8.	बोटाद	0.70	0.51	0.74
9.	छोटा उदयपुर	0.91	0.52	-
10.	दाहोद	28.73	24.47	22.95
11.	डांग	8.89	4.74	4.53
12.	देवभूमि द्वारका	0.52	-	0.08
13.	गांधीनगर	43.77	93.79	299.13
14.	गिर सोमनाथ	1.81	-	0.01
15.	जामनगर	61.29	28.49	206.15
16.	जूनागढ़	7.37	13.00	17.51
17.	कच्छ	76.07	82.72	90.69
18.	खेड़ा	13.97	14.42	11.18
19.	मेहसाणा	21.88	25.53	32.53
20.	महिसागर	-	-	-
21.	मोरबी	2.12	-	-
22.	नर्मदा	26.95	10.00	25.74
23.	नवसारी	8.56	5.31	12.01
24.	पंच महल	17.67	30.12	29.95
25.	पाटन	6.52	2.94	10.69
26.	पोरबंदर	4.46	7.27	7.37
27.	राजकोट	35.03	64.50	76.36
28.	साबरकांठा	9.29	6.13	13.37
29.	सूरत	101.97	153.95	175.44
30.	सुरेंद्रनगर	59.98	18.08	8.32
31.	तापी	3.29	-	-
32.	वडोदरा	138.90	151.30	349.92
33.	वलसाड	61.45	85.62	129.00
34.	जिले जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं	180.12	117.74	103.67
कुल		1613.18	2060.02	2707.54

(31.03.2025 तक की जानकारी) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

अनुलग्नक-II

दिनांक 16.03.2026 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3758, के भाग (ग) से संदर्भित

वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक छत्तीसगढ़ में जिला-वार सीएसआर व्यय

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	जिले	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24
1.	बालोद	-	-	-
2.	बलौदाबाजार-भाटापारा	-	-	
3.	बलरामपुर-रामानुजगंज	-	-	-
4.	बस्तर	15.26	12.12	17.24
5.	बीजापुर	-	-	-
6.	बिलासपुर	16.74	28.10	46.40
7.	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	8.77	9.91	19.52
8.	धमतरी	1.83	9.29	2.71
9.	दुर्ग	13.52	11.26	5.91
10.	गरियाबंद	-	-	-
11.	जांजगीर-चांपा	10.29	15.97	5.90
12.	जशपुर	2.31	0.27	2.73
13.	कबीरधाम	0.77	1.67	0.10
14.	कोंडागांव	-	3.00	-
15.	कोरबा	22.03	27.23	37.20
16.	कोरिया	2.78	2.46	4.90
17.	महासमुंद	0.77	0.27	6.90
18.	मुंगेली	-	-	0.25
19.	नारायणपुर	-	-	-
20.	रायगढ़	23.22	273.62	107.77
21.	रायपुर	79.66	94.87	110.42
22.	राजनांदगांव	7.80	9.23	15.68
23.	सुकमा	2.49	1.41	-
24.	सूरजपुर	1.17	-	1.53
25.	सरगुजा	11.89	10.58	5.03
26.	उत्तर बस्तर कांकेर	1.02	6.59	9.15
27.	जिले जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं	95.36	91.24	23.41
कुल		317.70	609.08	422.73

(31.03.2025 तक की जानकारी) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

अनुलग्नक-III

दिनांक 16.03.2026 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3758, के भाग (ग) से संदर्भित
वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक राजस्थान में जिलेवार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**जिले**	**वित्तीय वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**	**वित्तीय वर्ष 2023-24**
1.	अजमेर	9.35	11.03	87.26
2.	अलवर	51.18	59.16	68.54
3.	बांसवाड़ा	1.49	5.51	7.46
4.	बरन	6.81	11.95	16.01
5.	बाड़मेर	15.74	18.56	18.43
6.	भरतपुर	5.06	17.91	16.34
7.	भीलवाड़ा	41.64	107.90	49.71
8.	बीकानेर	16.22	22.36	19.31
9.	बूंदी	0.42	2.51	3.96
10.	चित्तौड़गढ़	23.31	8.38	14.63
11.	चुरू	5.58	16.88	39.17
12.	दौसा	4.50	3.00	2.12
13.	धौलपुर	3.37	1.72	4.39
14.	डिडवाना-कुचामन	-	0.29	0.05
15.	डूंगरपुर	4.04	11.17	14.57
16.	गंगानगर	0.84	1.75	2.35
17.	हनुमानगढ़	0.31	0.49	1.67
18.	जयपुर	110.12	184.37	248.24
19.	जैसलमेर	5.44	12.24	27.95
20.	जालोर	7.31	47.85	12.83
21.	झालावाड़	3.27	2.63	3.88
22.	झुंझुनू	7.73	13.65	13.82
23.	जोधपुर	25.42	37.58	32.82
24.	करौली	12.09	16.66	4.68
25.	खैरथल-तिजारा	-	-	0.24
26.	कोटा	11.05	12.19	22.97
27.	कोटपुतली-बहरोड़	-	-	0.06
28.	नागौर	5.82	7.87	13.09
29.	पाली	16.92	21.35	33.26
30.	प्रतापगढ़	0.06	-	-
31.	राजसमंद	22.78	15.39	15.00
32.	सवाई माधोपुर	2.52	1.02	1.56
33.	सीकर	20.87	25.63	19.58
34.	सिरोही	9.65	50.97	20.67
35.	टोंक	5.25	3.47	2.07
36.	उदयपुर	88.03	195.92	97.57
37.	जिले जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं	169.67	173.29	209.39
कुल		713.85	1122.65	1145.67

(31.03.2025 तक की जानकारी) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

अनुलग्नक-IV

दिनांक 16.03.2026 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3758, के भाग (ग) से संदर्भित

राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़ में पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनियों की संख्या और सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	राजस्थान		गुजरात		छत्तीसगढ़	
	कंपनियों की संख्या	सीएसआर व्यय	कंपनियों की संख्या	सीएसआर व्यय	कंपनियों की संख्या	सीएसआर व्यय
2021-22	2628	713.85	6440	1613.18	852	317.70
2022-23	3407	1122.65	8408	2060.02	929	609.08
2023-24	3800	1145.67	9737	2707.54	1028	422.73

(31.03.2025 तक की जानकारी) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

अनुलग्नक-V

दिनांक 16.03.2026 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3758 के भाग (ग) से संदर्भित
वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक गुजरात में विकास क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**विकास क्षेत्र**	**वित्तीय वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**	**वित्तीय वर्ष 2023-24**
1.	कृषि वानिकी	5.55	10.13	14.21
2.	पशु कल्याण	24.12	53.42	162.29
3.	सशस्त्र बल, पूर्व सैनिक, युद्ध विधवाएं/आश्रित	0.83	1.00	0.82
4.	कला और संस्कृति	11.39	20.60	30.11
5.	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	15.25	40.68	23.84
6.	शिक्षा	456.62	849.21	1018.29
7.	पर्यावरणीय स्थिरता	206.90	116.85	219.25
8.	लैंगिक समानता	10.34	4.08	15.60
9.	स्वास्थ्य देखभाल	556.45	507.86	443.80
10.	आजीविका संवर्धन परियोजनाएं	36.98	98.83	333.92
11.	गरीबी, भुखमरी, कुपोषण का उन्मूलन	52.46	74.71	107.25
12.	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	76.03	91.26	113.96
13.	सुरक्षित पेयजल	5.87	8.03	7.32
14.	स्वच्छता	23.38	10.86	11.88
15.	वरिष्ठ नागरिक कल्याण	2.29	8.17	17.41
16.	महिलाओं के लिए घर और छात्रावास स्थापित करना	25.79	22.17	6.76
17.	अनाथालय की स्थापना	1.07	1.46	1.70
18.	स्लम क्षेत्र विकास	2.63	1.02	3.01
19.	सामाजिक-आर्थिक समानताएं	5.80	20.00	14.62
20.	विशेष शिक्षा	9.93	13.02	37.55
21.	प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर	0.36	-	0.17
22.	खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	9.42	7.71	10.05
23.	व्यावसायिक कौशल	50.25	61.17	34.72
24.	महिला सशक्तिकरण	23.48	37.77	76.63
25.	एनईसी/उल्लेख नहीं*	-	-	2.37
कुल		1613.18	2060.02	2707.54

(31.03.2025 तक की जानकारी) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

* कंपनियों ने या तो उन क्षेत्रों के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक क्षेत्रों का संकेत दिया जहां परियोजनाएं शुरू की गईं।

अनुलग्नक-VI

दिनांक 16.03.2026 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3758 के भाग (च) से संदर्भित

राजस्थान में वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

राज्य	**वित्तीय वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**	**वित्तीय वर्ष 2023-24**
राजस्थान	713.85	1,122.65	1,145.67

(31.03.2025 तक की जानकारी) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

अनुलग्नक-VII

दिनांक 16.03.2026 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3758 के भाग (ज) से संदर्भित

वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक पंजाब में विकास क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**विकास क्षेत्र**	**वित्तीय वर्ष 2019-20**	**वित्तीय वर्ष 2020-21**	**वित्तीय वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**	**वित्तीय वर्ष 2023-24**
1.	कृषि वानिकी	0.50	0.37	0.30	1.93	0.11
2.	पशु कल्याण	1.29	3.12	2.33	6.52	6.12
3.	सशस्त्र बल, पूर्व सैनिक, युद्ध विधवाएं/आश्रित	0.16	0.53	0.67	0.83	1.73
4.	कला और संस्कृति	1.27	0.72	0.54	1.58	1.92
5.	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	0.01	0.72	3.26	4.78	4.28
6.	शिक्षा	44.50	48.53	65.57	97.19	127.03
7.	पर्यावरणीय स्थिरता	14.68	13.27	15.09	17.56	31.58
8.	लैंगिक समानता	0.98	0.48	0.69	0.36	1.07
9.	स्वास्थ्य देखभाल	64.88	54.86	56.44	67.23	85.69
10.	आजीविका संवर्धन परियोजनाएं	1.37	1.94	3.55	13.88	16.55
11.	गरीबी, भुखमरी, कुपोषण का उन्मूलन	17.76	10.11	6.03	11.49	13.56
12.	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	16.98	10.46	11.86	12.69	28.58
13.	सुरक्षित पेयजल	0.83	0.52	0.10	0.92	0.46
14.	स्वच्छता	8.01	0.56	3.11	4.20	3.02
15.	वरिष्ठ नागरिक कल्याण	2.76	1.08	1.33	1.13	3.89
16.	महिलाओं के लिए घर और छात्रावास स्थापित करना	-	0.00	0.02	0.28	0.09
17.	अनाथालय की स्थापना	0.05	0.00	0.13	0.63	0.04
18.	स्लम क्षेत्र विकास	0.02	0.07	0.08	0.08	0.23
19.	सामाजिक-आर्थिक समानताएं	1.62	2.25	1.17	1.83	0.76
20.	विशेष शिक्षा	0.76	0.40	0.79	1.75	1.80
21.	प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर	0.01	0.76	0.01		0.03
22.	खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	2.26	1.98	4.15	3.90	2.99
23.	व्यावसायिक कौशल	5.38	5.07	7.19	8.34	13.66
24.	महिला सशक्तिकरण	3.36	0.65	1.01	4.41	5.13
कुल		189.44	158.46	185.41	263.51	351.89

(31.03.2025 तक की जानकारी) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

अनुलग्नक-VIII

दिनांक 16.03.2026 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3758, के भाग (ज) से संदर्भित
वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक पंजाब में जिलेवार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**जिले**	**वित्तीय वर्ष 2019-20**	**वित्तीय वर्ष 2020-21**	**वित्तीय वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**	**वित्तीय वर्ष 2023-24**
1.	अमृतसर	11.94	4.45	14.22	19.21	17.86
2.	बरनाला	6.58	3.37	-	-	-
3.	बठिंडा	2.25	4.10	7.71	25.44	38.86
4.	फरीदकोट	0.52	-	0.06	0.07	1.31
5.	फतेहगढ़ साहिब	2.22	0.25	0.91	2.53	4.25
6.	फाजिल्का	-	1.42	0.07	-	-
7.	फिरोजपुर	0.16	0.66	5.82	6.70	2.78
8.	गुरदासपुर	0.40	0.19	1.31	2.69	2.97
9.	होशियारपुर	11.39	15.56	10.61	8.85	21.21
10.	जालंधर	2.81	2.75	5.06	9.01	11.53
11.	कपूरथला	0.95	0.96	5.37	4.99	6.83
12.	लुधियाना	30.47	37.48	45.83	66.47	67.67
13.	मालेरकोटला	-	-	-	0.09	0.10
14.	मनसा	0.94	1.32	2.03	2.42	2.33
15.	मोगा	1.22	1.23	1.13	1.72	2.76
16.	पठानकोट	0.23	0.57	-	-	-
17.	पटियाला	5.28	4.44	6.69	10.67	13.07
18.	रूपनगर	0.45	0.88	2.55	1.78	5.11
19.	एस.ए.एस. नगर	6.72	18.81	37.51	55.31	95.35
20.	संगरूर	1.32	5.44	9.34	14.27	10.50
21.	शाहिद भगत सिंह नगर	0.53	0.52	1.51	3.31	3.29
22.	श्री मुक्तसर साहिब	1.65	0.02	2.48	4.17	3.49
23.	तरन तारन	0.15	0.09	0.44	-	-
24.	जिले जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं	101.27	53.95	24.75	23.82	40.62
कुल		189.44	158.46	185.41	263.51	351.89

(31.03.2025 तक की जानकारी) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)
